अरुल्मिघु नेल्लुकादाई मरियम्मन तिरुक्कोइल

बनाम

तमिलारासी (मृत) वकीलों द्वारा

(2019 की सिविल अपील संख्या 4666)

मई 07, 2019

[न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - धारा 100 - दूसरी अपील - अपीलकर्ता-वादी ने मूल प्रतिवादी के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा दायर किया - प्रतिवादी को वाद संपत्ति से बेदखल करने के लिए - ट्रायल कोर्ट ने मुकदमा दायर किया - प्रथम अपीलीय अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि की - हालांकि, दूसरी अपील में, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता द्वारा दायर मुकदमे को खारिज कर दिया - अपील पर, उच्च न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 (4) के तहत आवश्यक अपील को स्वीकार करते समय मामले में उत्पन्न कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करने में विफल रहा और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 (5) के तहत प्रदान की गई अपील पर निर्णय लेने में विफल रहा - इसके बजाय, उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय देते समय पहली बार प्रश्न तैयार किए - जिस प्रक्रिया और तरीके से उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील का फैसला किया। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 में निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया के अनुरूप नहीं था - इस प्रकार, आक्षेपित निर्णय को रद्द कर दिया गया - मामले को कानून के अनुसार नए सिरे से दूसरी अपील पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय में भेज दिया गया।

अपील को स्वीकार करते हुए, अदालत ने कहा:

1. उच्च न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 (4) के तहत आवश्यक अपील को स्वीकार करते समय मामले में उत्पन्न कानून के किसी भी ठोस प्रश्न को तैयार करने में विफल रहा और आगे नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 100 (5) के तहत प्रदान की गई अपील पर फैसला करने में विफल रहा। [पैरा 11] [363-एच; 364-ए]

2. यह देखा गया है कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में पहली बार कानून के दो महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए। दूसरे शब्दों में, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 (4) के तहत प्रदान किए गए अपीलकर्ता को सुनने के बाद कानून का प्रश्न तैयार करने के लिए अपील को स्वीकार करते समय उच्च न्यायालय द्वारा क्या किया जाना आवश्यक था, लेकिन उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में ऐसा किया। इसी तरह, उच्च न्यायालय अपील की अंतिम सुनवाई के समय कानून के किसी भी अतिरिक्त प्रश्न को तैयार करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 (5) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का सहारा ले सकता था, यदि उसे लगता है कि ऐसा कोई प्रश्न शामिल था। तथापि, ऐसा नहीं किया गया। इसके बजाय, उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय देते समय पहली बार सवाल तैयार किए। [पैरा 12] [364-B-D]

3. जिस प्रक्रिया और तरीके से उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील का फैसला किया, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि इसे अनुमति दी गई थी या खारिज कर दी गई थी, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 में निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। [पैरा 13] [362-सी]

4. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, आक्षेपित निर्णय को बनाए नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 की अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है और इसलिए इस अपील में हस्तक्षेप की मांग करता है। [पैरा 15] [369-ए-बी]

सूरत सिंह (मृत) बनाम सिरी भगवान और अन्य। (2018) 4 एससीसी 562: [2018] 1 एससीआर 1063 - पर भरोसा किया।

केस कानून संदर्भ

[2018] 1 एससीआर 1063 पैरा 14 पर निर्भर था।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4666/2019

2009 के एसए संख्या 365 में मद्रास में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के दिनांक 30.09.2011 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता के वकील वी. प्रभाकर, सुश्री ज्योति पराशर, एन. जे. रामचंदर, आर. चंद्रचूड़।

श्रीमती बी सुनीता राव, उत्तरदाताओं के लिए वकील।

अदालत का फैसला न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने सुनाया।

1. अपील की अनुमति दी गई।

2. यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 2009 की द्वितीय अपील संख्या 365 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 30.09.2011 के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने मूल प्रतिवादी द्वारा दायर उक्त दूसरी अपील को अनुमति दी और अधीनस्थ न्यायाधीश के दिनांक 08.12.2008 के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया। नागापट्टिनम ने ए.एस. संख्या 30/2008 में अपीलकर्ता द्वारा दायर मुकदमे को खारिज कर दिया।

3. इस अपील के निपटान के लिए नीचे कुछ तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है, जिसमें एक छोटा प्रश्न शामिल है।

4. यह अपील वादी द्वारा दायर की जाती है, जो ट्रायल कोर्ट और पहली अपीलीय अदालत में सफल रहा, लेकिन उच्च न्यायालय में प्रतिवादी (मूल प्रतिवादी) द्वारा दायर दूसरी अपील में हार गया।

5. अपीलकर्ता (वादी) ने मूल प्रतिवादी (प्रतिवादी) के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें उसे मुकदमा संपत्ति से बेदखल करने का आरोप लगाया गया। प्रतिवादी ने मुकदमे का विरोध किया।

6. दिनांक 11.10.2007 के निर्णय और डिक्री द्वारा, जिला मुंसिफ, नागपट्टिनम ने मुकदमा दायर किया। प्रतिवादी (मूल प्रतिवादी) ने व्यथित महसूस किया और अधीनस्थ न्यायाधीश के समक्ष पहली अपील

(एएस संख्या 30/2008) दायर की। दिनांक 08.12.2008 के निर्णय और डिक्री द्वारा, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और जिला मुंसिफ द्वारा पारित निर्णय और डिक्री की पुष्टि की। प्रतिवादी ने व्यथित महसूस किया और उच्च न्यायालय में दूसरी अपील दायर की। आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को अनुमति दी और दूसरी अपील में लगाए गए आदेश को रद्द करते हुए अपीलकर्ता (वादी) द्वारा दायर मुकदमे को खारिज कर दिया, जिसने इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील दायर करने को जन्म दिया है।

7. इसलिए, संक्षिप्त प्रश्न, जो इस अपील में विचार के लिए उठता है, यह है कि क्या उच्च न्यायालय प्रतिवादी (मूल प्रतिवादी) द्वारा दायर दूसरी अपील को अनुमति देने में उचित था।

8. इस अपील के लंबित रहने के दौरान, एकमात्र प्रतिवादी की मृत्यु हो गई और उसके कानूनी प्रतिनिधियों को इस न्यायालय के दिनांक 29.07.2016 के आदेश द्वारा रिकॉर्ड पर लाया गया।

9. अपीलकर्ता के वकील श्री वी. प्रभाकर और प्रतिवादियों के वकील श्रीमती बी. सुनीता राव को सुना।

10. पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने और मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद, हम इस अपील को अनुमति देने, आक्षेपित निर्णय को रद्द करने और कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर अपील पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को सौंपने के लिए मजबूर हैं।

11. मामले को रिमांड पर लेने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमने पाया कि उच्च न्यायालय सीपीसी, 1908 की धारा 100 (4) (इसके बाद इसे "सिविल प्रक्रिया संहिता" के रूप में संदर्भित) के तहत आवश्यक अपील को स्वीकार करते समय मामले में उत्पन्न होने वाले कानून के किसी भी ठोस प्रश्न को तैयार करने में विफल रहा और आगे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 (5) के तहत प्रदान की गई अपील पर फैसला करने में विफल रहा।

12. यह देखा गया है कि उच्च न्यायालय ने लागू किए गए निर्णय में पहली बार कानून के दो महत्वपूर्ण प्रश्न (आक्षेपित निर्णय का पैरा 7 देखें) तैयार किए। दूसरे शब्दों में, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 (4) के तहत प्रदान किए गए अपीलकर्ता को सुनने के बाद कानून का प्रश्न तैयार करने के लिए अपील को स्वीकार करते समय उच्च न्यायालय द्वारा क्या किया जाना आवश्यक था, लेकिन उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय में ऐसा किया। इसी तरह, उच्च न्यायालय अपील की अंतिम सुनवाई के समय कानून के किसी भी अतिरिक्त प्रश्न को तैयार करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 (5) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का सहारा ले सकता था, यदि उसे लगता है कि ऐसा कोई प्रश्न शामिल था। तथापि, ऐसा नहीं किया गया। इसके बजाय, उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय देते समय पहली बार सवाल तैयार किए।

13. हमारी सुविचारित राय में, जिस प्रक्रिया और तरीके से उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील का फैसला किया, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि इसे अनुमति दी गई थी या खारिज कर दी गई थी, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 में निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है।

14. हाल ही में, इस न्यायालय को सूरत सिंह (मृत) बनाम सिरी भगवान और अन्य, [(2018) 4 एससीसी 562] में इस प्रश्न की जांच करने का अवसर मिला। कानून को इस निर्णय के पैरा 20 से 35 में समझाया गया है जो निम्नानुसार है:

"20. संहिता की धारा 100 निम्नानुसार है:

(1) इस संहिता के निकाय में या इस समय लागू किसी अन्य विधि द्वारा स्पष्ट रूप से उपबंधित के अलावा, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री से उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी, यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि मामले में कानून का पर्याप्त प्रश्न शामिल है। (2) इस धारा के अधीन अपील एकपक्षीय रूप से पारित अपीलीय डिक्री से हो सकती है। (3) इस धारा के अधीन अपील में, अपील ज्ञापन में अपील में शामिल कानून के पर्याप्त प्रश्न का सटीक उल्लेख होगा। (4) जहां उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि किसी मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, वह उस प्रश्न को तैयार करेगा। (5) अपील को इस प्रकार तैयार किए गए प्रश्न पर सुना जाएगा और प्रतिवादी, अपील की सुनवाई पर, यह तर्क देने की अनुमति दी जाएगी कि मामले में ऐसा प्रश्न शामिल नहीं है: बशर्ते कि इस उप-धारा में कुछ भी दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए सुनवाई करने की अदालत की शक्ति को छीनने या कम करने वाला नहीं समझा जाएगा, उसके द्वारा तैयार किए गए कानून के किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपील, यदि वह संतुष्ट है कि मामले में ऐसा प्रश्न शामिल है।

21. धारा 100 की उप-धारा (1) कहती है कि उच्च न्यायालय द्वारा दूसरी अपील पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब उच्च न्यायालय "संतुष्ट" हो कि मामले में "कानून का पर्याप्त सवाल" शामिल है। उपधारा (3) अपीलकर्ता के लिए यह अनिवार्य बनाती है कि वह अपील के ज्ञापन में अपील में शामिल "कानून के पर्याप्त प्रश्न" को ठीक-ठीक बताए। उपधारा (4) में प्रावधान है कि जहां उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, वह उस प्रश्न को तैयार करेगा। दूसरे शब्दों में, एक बार जब उच्च न्यायालय अपीलकर्ता या उसके वकील को सुनने के बाद संतुष्ट हो जाता है, जैसा कि मामला हो सकता है, कि अपील में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, तो उसे उस प्रश्न को तैयार करना होगा और फिर उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए कानून के सवाल के साथ अपील के ज्ञापन के प्रतिवादी को नोटिस जारी करने का निर्देश देना होगा। उपधारा (5) में प्रावधान है कि अपील की सुनवाई केवल उपधारा (4) के तहत उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए प्रश्न पर की जाएगी। दूसरे शब्दों में, दूसरी अपील पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केवल उप-धारा (4) के तहत उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए प्रश्न तक ही सीमित है। हालांकि, अपील की सुनवाई के समय प्रतिवादी को उप-धारा (5) के तहत यह आपत्ति उठाने का अधिकार दिया जाता है कि उप-धारा (4) के तहत उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किया गया प्रश्न अपील में शामिल नहीं है। सुनवाई के समय इस तरह की आपत्ति उठाने के लिए प्रतिवादी को यह अधिकार देने का कारण यह है कि उच्च न्यायालय प्रवेश चरण में प्रश्न तैयार करता है जो प्रतिवादी को अपील की सूचना जारी करने से पहले होता है। दूसरे शब्दों में, प्रश्न प्रतिवादी की पीठ के पीछे तैयार किया जाता है और इसलिए, उप-धारा (5) उसे सुनवाई के समय ऐसी आपत्ति उठाने में सक्षम बनाती है कि अपील में तैयार किया गया प्रश्न नहीं उठता है। तथापि, उप-धारा (5) के परंतुक में कानून के किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपील की सुनवाई करने की उच्च न्यायालय की शक्ति को भी मान्यता दी गई है, जिसे प्रारंभ में उप-धारा (4) के तहत उच्च न्यायालय द्वारा तैयार नहीं किया गया था। हालांकि, इस शक्ति का उपयोग उच्च न्यायालय

द्वारा अपील की सुनवाई के समय कानून के ऐसे अतिरिक्त प्रश्न तैयार करने के कारणों को बताने के बाद ही किया जा सकता है।

22. इस मामले के तथ्यों को देखते हुए, हम यह समझने में असमर्थ हैं कि उच्च न्यायालय ने अपने समापन पैरा में अंतिम निर्णय पारित करते हुए पहली बार कानून के ठोस प्रश्न को कैसे तैयार किया और साथ ही अपीलकर्ता के पक्ष में उक्त प्रश्न का उत्तर दिया। जाहिर है, विद्वान न्यायाधीश ने संहिता की धारा 100 की उप-धारा (4) का सहारा लेकर ऐसा किया होगा।

23. यहां वह मामला है जहां उच्च न्यायालय को संहिता की धारा 100 की उप-धारा (4) के तहत अपीलकर्ता या / और उसके वकील को सुनने के बाद अपील के प्रवेश के समय पर्याप्त प्रश्न तैयार करने का कानूनी दायित्व था, लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने समापन पैरा में अंतिम निर्णय पारित करते हुए ऐसा किया।

24. उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई इस तरह की नई प्रक्रिया, हमारी राय में, संहिता की धारा 100 की योजना के पूरी तरह से विपरीत है और आक्षेपित निर्णय को कानूनी रूप से अस्थिर बनाती है।

25. हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय के पास उप-धारा (5) के तहत अनुमत सीमा को छोड़कर अपील में अपने अंतिम निर्णय के लेखन के समय पर्याप्त प्रश्न तैयार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया, संहिता की धारा 100 की योजना के खिलाफ होने के अलावा, प्रतिवादियों के लिए पूर्वाग्रह पैदा करने के परिणामस्वरूप भी उत्तरदाताओं के लिए पूर्वाग्रह पैदा हुआ क्योंकि प्रतिवादी कानून के पर्याप्त प्रश्न तैयार करने पर आपत्ति नहीं कर सकते थे। दरअसल, प्रतिवादियों को यह पता नहीं चल सका कि कानून के किस सवाल पर अपील को अंतिम सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया।

26. दूसरे शब्दों में, चूंकि उच्च न्यायालय अपील की स्वीकृति के समय धारा 100 की उप-धारा (4) के तहत कानून का कोई ठोस प्रश्न तैयार करने में विफल रहा, इसलिए प्रतिवादियों को यह पता नहीं चल सका कि कानून के किस प्रश्न पर, अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया था।

27. इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि उप-धारा (5) प्रतिवादियों को यह जानने का अधिकार देती है कि कानून के किस महत्वपूर्ण प्रश्न पर, अपील को अंतिम सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया था। उप-धारा (5) प्रतिवादियों को अंतिम सुनवाई के समय आपत्ति उठाने में सक्षम बनाती है कि अपीलकर्ता के कहने पर बनाए गए कानून का सवाल वास्तव में मामले में नहीं उठता है।

28. फिर भी, दूसरा कारण यह है कि प्रतिवादियों को उप-धारा (4) के तहत उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए प्रश्न की दूसरी अपील का विरोध करते समय केवल जवाब देने की आवश्यकता होती है, न कि उससे परे। यदि प्रवेश के समय या अपील की अंतिम सुनवाई से पहले उप-धारा (4) के तहत कानून का सवाल तैयार नहीं किया जाता है, तो प्रतिवादी के लिए सुनवाई के समय दूसरी अपील का विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। इस स्थिति में, उच्च न्यायालय के पास कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न (ओं) के अभाव में ऐसी दूसरी अपील पर फैसला करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

29. धारा 100 की योजना यह है कि एक बार जब उच्च न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि अपील में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, तो ऐसे प्रश्न को धारा 100 की उप-धारा (4) के तहत तैयार करना होगा। यह प्रश्न तैयार करना है जो उच्च न्यायालय को उप-धारा (5) के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपील पर

अंतिम निर्णय लेने का अधिकार देता है। इसलिए, उप-धारा (4) और (5) में निर्धारित दोनों आवश्यकताएं अनिवार्य हैं और उनमें निर्धारित तरीके से उनका पालन किया जाना है। वास्तव में, जैसा कि सुप्रा का उल्लेख किया गया है, दूसरी अपील पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र अंततः उप-धारा (4) के तहत कानून के पर्याप्त प्रश्न तैयार होने के बाद ही उत्पन्न होता है। एक मामला हो सकता है और वास्तव में ऐसे मामले हैं जहां कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने के बाद भी, अपीलकर्ता के खिलाफ उसी का जवाब दिया जा सकता है। हालांकि, यह उप-धारा (5) के तहत प्रतिवादियों को सुनने के बाद ही किया जाता है।

30. यदि, हालांकि, उच्च न्यायालय प्रवेश के समय अपीलकर्ता को सुनने के बाद संतुष्ट हो जाता है कि अपील में कानून का कोई ठोस प्रश्न शामिल नहीं है, तो ऐसी अपील को बर्खास्तगी आदेश में एक निष्कर्ष दर्ज करने के बाद प्रतिवादियों को बिना किसी नोटिस के खारिज कर दिया जा सकता है कि अपील में उप-धारा (4) के अर्थ के भीतर कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि लिमिन में ऐसा आदेश पारित करने के लिए, उच्च न्यायालय को अपने निष्कर्ष के समर्थन में कारण बताना आवश्यक है।

31. हालांकि, इसका कोई महत्व नहीं है, कि प्रतिवादी अपील की अंतिम सुनवाई के समय उपस्थित हुआ है या नहीं। उच्च न्यायालय को किसी भी मामले में अपील का निपटारा करते समय धारा 100 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ना होता है, चाहे वह लिमिन में हो या अंतिम सुनवाई के चरण में।

32. यह व्याख्या के नियम का एक स्थापित सिद्धांत है कि जब भी किसी क़ानून में किसी विशेष कार्य को किसी विशेष तरीके से करने की आवश्यकता होती है, तो ऐसा कार्य केवल उसी तरीके से किया जाना चाहिए और किसी अन्य तरीके से नहीं। (देखें- जीपी द्वारा संविधियों की व्याख्या। सिंह, 10वें संस्करण का पृष्ठ 347 और बारू राम बनाम परसन्नी (श्रीमती), एआईआर 1959 एससी 93)।

33. उपरोक्त सिद्धांत मामले पर लागू होता है क्योंकि, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, उच्च न्यायालय दूसरी अपील की अनुमति देते समय संहिता की धारा 100 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहा और इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप का आह्वान करते हुए एक क्षेत्राधिकार त्रुटि की।

धारा 100 का निर्माण करते हुए, इस न्यायालय ने संतोष हजारी बनाम पुरुषोत्तम तिवारी (मृतक) के मामले में L.Rs, (2001) 3 एससीसी 179 ने संहिता की धारा 100 के तहत कानून के दायरे, अधिकार क्षेत्र और पर्याप्त प्रश्नों को संक्षेप में समझाया।

35. इसलिए उच्च न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह प्रश्न तैयार करते समय और दूसरी अपील पर निर्णय लेते समय संतोष हजारी (सुप्रा) में निर्धारित कानून को हमेशा ध्यान में रखे।

15. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, हम आक्षेपित निर्णय को बनाए नहीं रख सकते हैं, जो हमारे विचार में, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 की अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है और इसलिए इस अपील में हस्तक्षेप की मांग करता है।

16. इस प्रकार अपील की अनुमति दी जानी चाहिए और तदनुसार इसकी अनुमति दी जाती है। आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जाता है। कानून के अनुसार दूसरी अपील पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को

उच्च न्यायालय में भेजा जाता है। उच्च न्यायालय अपीलकर्ता को सुनने के बाद कानून के उचित पर्याप्त प्रश्न तैयार करेगा और यदि उसे लगता है कि मामले में कानून का कोई ठोस प्रश्न उठता है, तो वह पहले ऐसे प्रश्न तैयार करेगा और फिर तदनुसार कानून के अनुसार तैयार किए गए प्रश्नों पर अपील पर अंतिम रूप से निर्णय लेगा।

17. हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने इस अपील में शामिल विवाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है, बल्कि दूसरी अपील पर फैसला करने के तरीके में देखी गई खामी के कारण मामले को रिमांड पर लेने के लिए केवल एक राय बनाई है। इसलिए, उच्च न्यायालय इस आदेश में की गई हमारी किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना दूसरी अपील पर फैसला करेगा।

18. चूंकि मामला काफी पुराना है, इसलिए हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह दूसरी अपील पर शीघ्रता से निर्णय ले, अधिमानतः इस निर्णय की प्राप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर।

अपील की अनुमति दी गई।

इला देओल, एडवोकेट